



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1935 (श0)
(सं0 पटना 387) पटना, बुधवार, 15 मई 2013

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

अधिसूचनाएं
13 मई 2013

विदेश-निर्मित विदेशी शराब एवं विदेश-निर्मित वाइन के आयात एवं बिक्री हेतु नियमावली, 2013

सं0 3/सी5 नीति (अ0वि0श0नि0)-09/2010-3277—बिहार उत्पाद अधिनियम-1915 की धारा-89 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार विदेश-निर्मित विदेशी शराब एवं विदेश-निर्मित वाइन के आयात, परिवहन, बिक्री एवं अनुज्ञप्ति हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ**—(1) यह नियमावली "विदेश-निर्मित विदेशी शराब एवं विदेश-निर्मित वाइन आयात एवं बिक्री नियमावली- 2013" कही जाएगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह बिहार राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- परिभाषाएँ**— इस नियमावली में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो —
 - "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915; (अधिनियम-ii, 1915)
 - "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;
 - "उत्पाद आयुक्त" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-7, के खंड (क) के अधीन नियुक्त पदाधिकारी;
 - "उत्पाद शुल्क" या "शुल्क" से अभिप्रेत है, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 51 में यथोल्लिखित शुल्क;
 - "भारत में आयात" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी आयात जो "सागर सीमाशुल्क अधिनियम 1878" या "भारतीय टैरिफ अधिनियम 1894 के अधीन भारत सरकार द्वारा परिभाषित है।
 - "सिवाय" "भारत में आयात" वाक्यांश के "आयात" से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क सीमांत से अन्यथा राज्य में लाना;
 - "बिक्री" से अभिप्रेत है, उपहार स्वरूप से अन्यथा कोई अंतरण,

(ज) "विदेश निर्मित विदेशी शराब" या वि०नि०वि०शा० से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

- (i) भारत में समुद्री एवं वायुमार्ग द्वारा अन्य देशों से भारत में मूल बोटलबन्द रूप में एवं विदेशी शराब के रूप में भी परिभाषित आयातित सभी शराब।
- (ii) भारत में अन्य देशों से समुद्री/वायु मार्ग द्वारा मूल रूप में बोटलबंद सभी बियर, पोर्टर और साइडर सहित स्टाउट तथा
- (iii) अल्कोहल या किसी अन्य संघटकों के साथ या इसके बिना ही किण्वीकरण को प्रक्रिया के द्वारा अंगूरो या अन्य फलों से तैयार बोटलबंद रूप में अन्य देशों से भारत में समुद्री या वायुमार्ग द्वारा आयातित मीठा वाइन सहित सभी वाइन।
- (झ) "पर्षद" से अभिप्रेत है राजस्व पर्षद;
- (ञ) "बी०एस०बी०सी०एल" से अभिप्रेत है, सभी प्रकार के शराबों के थोक व्यापार के लिए सशक्त बिहार स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लि०, राज्य सरकार का उपक्रम,
- (ट) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है, बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा-13 एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति;
- (ठ) "अनुज्ञा" से अभिप्रेत है, वि०नि०वि०शराब तथा वि०नि०वि०वाइन के उठाव के लिए बिहार उत्पाद अधिनियम एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन प्रदत्त प्राधिकार ;
- (ड) "अधिकतम फुटकर कीमत" से अभिप्रेत है वह अधिकतम खुदरा बिक्रय मूल्य जिसपर अंतिम उपभोक्ताओं को वि०नि०वि०शराब तथा वि०नि०वि०वाइन बेची जाएगी और जिसमें सभी प्रकार के कर, भाडा, परिवहन खर्च, बिहार स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लि० को भुगतये कमीशन या व्यापारिक अतिरिक्त राशि और वितरण की बाबत सभी प्रभार सम्मिलित होंगे।
- (ढ) "पु०उ०ब०म० से अभिप्रेत है" पूर्व उत्पाद बंध पत्र मूल्य।

3. किसी वि०नि०वि०शराब तथा वि०नि०वि०वाइन की बिक्री तबतक राज्य में नहीं की जाएगी जबतक कि वह "सागर सीमाशुल्क अधिनियम, 1878" एवं भारतीय टैरिफ अधिनियम 1894 एवं किसी अन्य सुसंगत केन्द्रीय अधिनियम के अधीन विधिसम्मत रूप से आयातित हो, तथा तत्पश्चात् इसमें अंतर्निष्ठ उपबंधों के अनुसार बिहार राज्य में उसका आयात न किया गया हो।

4. कोई भी व्यक्ति/कंपनी/फर्म राज्य में वि०नि०वि०शराब और वि०नि०वि०वाइन आयात तबतक नहीं करेगा जबतक कि वह उत्पाद आयुक्त से एक पृथक प्रारूप में, जो पर्षद द्वारा विहित किया जायेगा, एक वितरकता अनुज्ञप्ति प्राप्त न कर ले। आयातक अपने स्वयं नाम से ऐसी अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा एवं एक से अधिक विनिर्माण कम्पनियों से ब्राण्डों की वि०नि०वि०शराब एवं वि०नि०वि०वाइन आयात कर कर सकेगा।

5. आयातक या वितरकता अनुज्ञप्तिधारी किसी वि०नि०वि०शराब या वि०नि०वि०वाइन की आयात तबतक नहीं करेगा जब तक कि उत्पाद सहायक आयुक्त/ उत्पाद अधीक्षक के माध्यम से लिखित अनुरोध पर उत्पाद आयुक्त से आयात आदेश प्राप्त नहीं कर लेता।

ऐसे आयात आदेश के आधार पर, सहायक उत्पाद आयुक्त/उत्पाद अधीक्षक, अपेक्षित फीस के पूर्व भुगतान पर आयातक के पक्ष में अनुज्ञापत्र निर्गत करेगा।

6. आयातक या वितरकता अनुज्ञप्तिधारी अपने भांडागार से ऐसी आयातित वि०नि०वि०शराब अथवा वि०नि०वि०वाइन की आपूर्ति विधिमान्य अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध बिहार स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लि० को एवं बिहार स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लि० उसकी आपूर्ति खुदरा विक्रेताओं या अनुज्ञप्ति प्राप्त होटलों/रेस्टोरेंटों/शराब घरों (बार) को विधिमान्य अनुज्ञा पत्रों के विरुद्ध करेगा।

फीस एवं शुल्क का भुगतान

7. बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा-6 के उपबंधों के अनुसार वि०नि०वि०शराब या वि०नि०वि०वाइन पर कोई शुल्क और आयात फीस उद्गृहित नहीं की जाएगी।

8. आयातक अथवा वितरकता अनुज्ञप्तिधारी राजस्व पर्षद द्वारा यथाविहित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का अग्रिम भुगतान करेगा।

9. कोई वि०नि०वि०शराब अथवा वि०नि०वि०वाइन का राज्य में तब तक आयात नहीं किया जाएगा जबतक कि सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा विहित/ नियत दर पर अनुज्ञापत्र फीस का आयातक अथवा वितरकता अनुज्ञप्ति धारक द्वारा पूर्व भुगतान न कर दिया गया हो।

लेबल निबंधन फीस

10. बिहार राज्य में वि०नि०वि०शराब अथवा वि०नि०वि०वाइन का किसी ब्राण्ड की आयात एवं बिक्री तबतक नहीं की जाएगी जबतक कि इसका लेबल बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 की धारा-90 के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से बनाए गए नियम 42ख के अधीन यथा विहित वार्षिक निबंधन/नवीकरण फीस के पूर्व भुगतान पर उत्पाद आयुक्त द्वारा उसका लेबल अनुमोदित एवं रजिस्ट्रीकृत नहीं हो जाता।

11. विदेश-निर्मित विदेशी शराब एवं विदेश-निर्मित विदेशी वाईन पर भांडागार से निर्गमन उसको हटाये जाने के पूर्व राजस्व पर्षद द्वारा यथा विहित संचलन फीस का भुगतान किया जायगा।

12. वि०नि०वि०शराब एवं वि०नि०वि०वाइन के प्रत्येक बोतल पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक पृथक छापित स्टीकर चिपकाया जायेगा, जिस पर लाल स्याही से वैधानिक चेतावनी " मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।" एवं उसका अधिकतम खुदरा मूल्य मुद्रित किया जायगा।

13. किसी भी बिक्री केन्द्र पर, वि०नि०वि०शराब एवं वि०नि०वि०वाइन के पैक साईज एवं शक्ति में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

13 मई 2013

सं० 3/सी5 नीति (अ०वि०श०नि०)—09/2010—3278/अधिसूचना संख्या—3277/दिनांक 13.05.2013 के तहत निर्गत "विदेश—निर्मित विदेशी शराब एवं विदेश—निर्मित वाइन आयात एवं बिक्री नियमावली— 2013" का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत—संविधान के अनुच्छेद—348 के खंड—3 के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

The 13th May 2013

Rules for import and sale of Foreign Made Foreign Liquor and Foreign Made Wine-2013.

No. 3/सी5 नीति (अ०वि०श०नि०)—09/2010—3277—In exercise of powers conferred by Section-89 of the Bihar Excise Act, 1915, the Government of Bihar makes the following rules for import, transport, sale and licence of Foreign Made Foreign Liquor and Foreign Made Wine.

1. Short Title, Extent and Commencement.—(1) These rules may be called "Import and Sale Rules for Foreign Made Foreign Liquor and Foreign Made Wine, 2013".

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar,

(3) It shall come into force from the date of its notification in the Official Gazette of Bihar.

2. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or the context-

(a) "**The Act**" means the Bihar Excise Act, 1915 ; (Act – ii, 1915)

(b) "**Section**" means a section of the Act,

(c) "**Excise Commissioner**" means the officer appointed under clause of (a) section-7, of the Act ;

(d) "**Excise Duty**" or "**Duty**" means duty as is mentioned in Entry 51 of list II in the Seventh Schedule to the Constitution;

(e) "**Import into India**" means any such import, as defined by the Central Government under the Seas Customs Act, 1879" or the "Indian Tariff Act 1894";

(f) "**Import**", except the phrase "Import into India", means to bring into the State otherwise than across a customs frontier as defined by central Government;

(g) "**Sale**" means any transfer otherwise than by way of gift;

(h) "**Foreign Made Foreign Liquor**", or "**FMFL**" means:-

(i) All liquor imported into India from other countries by sea or air, in original bottled form, and also termed as "Imported Foreign Liquor";

(ii) All Beer, Porter and Stout including cider imported into India from other countries by sea or air, in bottled form i.e. Bottled in Origin; and

(iii) All wines including sweet wine prepared from grapes or other fruits by a process of fermentation only with or without the addition of

alcohol or any other ingredients imported into India from other countries by sea or air in bottled form.

- (j) "**Board**" means Board of Revenue.
- (k) "**B.S.B.C.L.**" means Bihar State Beverages Corporation Limited, the State Government undertaking empowered for wholesale trading of all kinds of liquors;
- (l) "**License**" means a license granted under section-13 of the Bihar Excise Act and rules made thereunder;
- (m) "**Permit**" means an authorization granted under Bihar Excise Act and rules made thereunder for the removal of FMFL and FMFW;
- (n) "**M.R.P**" means the maximum price at which the FMFL and FMFW may be sold to the ultimate consumer and shall include all taxes, freight, transport charges, Commission or trade margin payable to B.S.B.C.L. and all charges towards delivery etc. ;
- (o) "**ECBP**" means the Ex-Custom Bond price.
3. No FMFL and FMFW shall be sold in the State of Bihar unless it is legitimately imported into India under "The Seas Customs Act, 1878" and "The Indian Tariff Act, 1894" and any other relevant Central Act and thereafter imported to the State of Bihar as per the provisions contained herein.
4. No person/Company/Firm shall import FMFL and FMFW in the State of Bihar unless he obtains from Excise Commissioner a license of distributorship in a separate form which shall be prescribed by the Board. The importer shall obtain such license in his own name and may import FMFL or FMFW of different brands from more than one manufacturing company.
5. The importer or the holders of distributorship license shall not import any FMFL or FMFW unless he obtains on written request through the Assistant Commissioner of Excise /Superintendent of Excise, the import order from the Excise Commissioner.
On the basis of such import order, The Assistant Commissioner of Excise / Superintendent of Excise shall issue permit in favour of the importer or the holders of distributorship license on prepayment of the requisite fee.
6. The importer or the holders of distributorship licenses shall supply such imported FMFL and FMFW from his warehouse to B.S.B.C.L. against valid permits and the B.S.B.C.L. shall supply the same to the retailers or to licensed Hotels/ Restaurants/ Bars against valid permits.

Payment of Fees & Duty

7. No duty and import fee shall be levied on the imported FMFL or FMFW in accordance with the provisions of section-6 of the Bihar Excise Act.
8. The importer or the holders of the distributorship license shall pay an advance annual license fee as prescribed by the Board.
9. No FMFL or FMFW shall be imported in the state unless the permit fee at the rate fixed/prescribed by Member, Board of Revenue is prepaid by the importer or the holders of distributorship licenses.

Label Registration Fee

10. No brand of FMFL or FMFW shall be imported and sold in this State of Bihar unless its label is approved and Registered by the Excise Commissioner on pre payment of annual Registration/Renewal fee as prescribed under Rule 42-B made specifically under section-90 of the Bihar Excise Act,1915.
11. A movement fee as prescribed by the Board shall be paid by the holders of distributorship licenses on FMFL and FMFW before its removal from the warehouse.

12. Each bottle of FMFL and FMFW shall be pasted by the licensee with a separate adhesive sticker on which statutory warning "Drinking Liquor is injurious to health" in red ink and its maximum retail price shall be printed.
13. No change in pack-size and strength of FMFL and FMFW shall be allowed at any sale point.

By order of the Governor of Bihar,
Sd/-Illegible,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 387-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>